92/131

प्रमुख सचिव
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय- कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव- राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाये जाने बाबत।

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मरू उद्यान जो बाड़मेर तथा जैसलमेर ज़िले के लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, आज भी मूलभूत सुविधाओं यथा सड़क, पेयजल, बिजली तथा संचार (मोबाइल) की सुविधाओं से वंचित है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी जैसे स्नेकबाइट, प्रसव आदि में सड़कों के अभाव में इस क्षेत्र के निवासियों को काफ़ी परेशानियों झेलनी पड़ती है। पेयजल की गंभीर समस्या है जिसके लिए महिलाओं को कई किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है। मोबाइल टावर नहीं होने के कारण यह क्षेत्र आज भी सूचना तकनीक के लाभों से वंचित है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्षेत्रवासियों को संविधान द्वारा प्रत्याभूत मानवोचित गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

अतः लोक महत्त्व के इस विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

भवदीय

(रविन्द्र सिंह भाटी)
विभाजन संख्या- 126